श्रमिकों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी

कार्ययोजना

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। योगी सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन्हें पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योगी-2.0 में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया है। वहीं दूसरी ओर विभाग ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्टेट एजेंसी कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (सांचीज) के साथ करार कर लिया है।

केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके तहत उन तमाम लोगों को लाभांवित करने की योजना शुरू की गई थी, जिन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल पाया था। योजना के संचालन के लिए 20 अक्तूबर 2021 को शासनादेश जारी किया गया था। श्रम विभाग के पोर्टल पर फिलहाल 79 लाख 215 श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पोर्टल पर प्रदेश के 8 करोड़ 26 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।

निर्माण श्रमिकों का पहले भेजा गया था डाटा

निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को पहले ही आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की पहल शुरू हो चुकी थी। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 11.65 लाख श्रमिकों का डाटा सांचीज को दिया गया था। आधार से जुड़े न होने के कारण इसे दोबारा तैयार किया गया।

गांवों में कूड़ा प्रबंधन प्राथमिकता पर हो: मंत्री

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन विकसित किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि यह सरकार की प्राथमिकता का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है। पंचायतीराज मंत्री ने यह बात सोमवार को पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में स्वच्छ भारत मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कहीं। प्रशिक्षण में आजमगढ़, झांसी व बस्ती मण्डलों के सभी अधिकारी, जिला कन्सलटेंट व अन्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।